न्यायालय, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुंगेली, जिला मुंगेली छ०ग०
जमानत आवेदन पत्र क्रमांक 239/2023 में पारित आदेश
दिनांक 11-08-2023 की सत्यप्रतिलिपि

जोयेस तिग्गा, पिता-स्व० धरमदास तिग्गा,
उम्र-लगभग 51 वर्ष, निवासी-129 डी,
सृष्टि संस्कृति कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, कॉलोनी परसदा,
सकरी गांव के पास, बिलासपुर,
जिला-बिलासपुर (छ०ग०) ..... आवेदक/अभियुक्त

//विरूद्ध//

छ०ग० शासन द्वारा,
आरक्षी केन्द्र-सिटी कोतवाली मुंगेली
जिला-मुंगेली (छ०ग०) .....अभियोजन/राज्य

11-08-2023

पीठासीन अधिकारी प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रशासनिक कार्य से मुख्यालय से बाहर रहने के कारण, माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, मुंगेली के कार्यविभाजन आदेशानुसार थाना-सिटी कोतवाली, मुंगेली के अपराध क्रमांक 372/2021 धारा 420, 120 बी, 467, 468, 471, 409, 34 भा०दं०सं० से संबंधित केस डायरी प्रतिवेदन एवं न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुंगेली का रिमाण्ड प्रपत्र सहित यह जमानत आवेदन पत्र क्रमांक 239/2023 अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं, विधिवत् निराकरण हेतु मेरे समक्ष प्रस्तुत।

आवेदक/अभियुक्त जोयेस तिग्गा की ओर से श्रीमती एम० आशा अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा श्री मनीष चौबे लोक अभियोजक।

प्रकरण केस डायरी प्रस्तुति एवं जमानत आवेदन पत्र पर सुनवाई हेतु नियत है।

इस आदेश द्वारा आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र की कंडिका 02 में यह उल्लेख है कि, आवेदक/अभियुक्त के द्वारा दिये गये घोषणा पत्र के अनुसार, अभियुक्त का यह **प्रथम** नियमित जमानत आवेदन पत्र है। इस आवेदन पत्र के अलावा इस आशय का अन्य कोई आवेदन पत्र किसी भी अन्य न्यायालय अथवा माननीय छ०ग० उच्च न्यायालय बिलासपुर में लंबित अथवा निराकृत नहीं हुआ है। इस आवेदन पत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसके भाई अर्दन तिग्गा द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि, आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली मुंगेली में अपराध क्रमांक 372/2021 अंतर्गत धारा 420, 120बी, 409, 467, 471, 34 भा०दं०सं० के तहत प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 04-08-2023 को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुंगेली के समक्ष आत्मसमर्पण कर नियमित जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे निरस्त कर दिया गया। आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जेल में निरूद्ध है।

आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उक्त अपराध में अन्य सभी अभियुक्त संतु लाल सोनकर को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एम०सी०आर०सी० नं० 1408/2021 में पारित आदेश दिनांक 21-01-2022, आरोपी वसीम खान को एम०सी०आर०सी० नं० 2212/2022 में पारित आदेश दिनांक 01-04-2022 को, आरोपी आनंद निषाद को एम०सी०आर०सी० नं० 4306/2022 में पारित आदेश दिनांक 16-06-2022 एवं आरोपी सियाराम साहू को एम०सी०आर०सी० नं० 998/2023 में पारित आदेश दिनांक 23-02-2023 को नियमित जमानत का लाभ प्रदान किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप, अन्य सहअभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप के सामान है जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्तानुसार जमानत प्रदान किया गया है। वित्तीय अनियमितता की गई राशि को सोफिया कंस्ट्रक्शन एवं

सप्लायर अकलतरा के द्वारा नगर पालिका परिषद मुंगेली के खाता में पूर्व से ही जमा किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त का उक्त अपराध में कोई संलिप्तता नहीं है और उसका कोई आपराधिक रिकार्ड भी नहीं है। प्रकरण के निराकरण में विलंब होने की संभावना है।

आवेदक/अभियुक्त निवासी-129 डी, सृष्टि संस्कृति कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, कॉलोनी परसदा, सकरी गांव के पास, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ०ग०) का स्थायी निवासी है। वह न्यायालय के समस्त आदेशों, निर्देशों एवं शर्तों का पालन कर जमानत पर रिहा होना चाहता है। अतः आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

राज्य की ओर से लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हुये निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

उक्त जमानत आवेदन पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

केस डायरी एवं रिमाण्ड प्रपत्र के अवलोकन से यह दर्शित है कि-आवेदक/अभियुक्त ने दिनांक 04-08-2023 को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुंगेली के समक्ष आत्मसमर्पण करने से अनुमति पश्चात् आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल मुंगेली प्रेषित किया गया।

आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली, मुंगेली के अपराध क्रमांक 372/2021 धारा 420, 120बी, 467, 468, 471, 409, 34 भा०दं०सं० से संबंधित केस डायरी का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार, आवेदक/अभियुक्त ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर करीब 300 मीटर नाली निर्माण में वित्तीय अनियमितता कूटरचित दस्तावेज तैयार कर 13,21,818/- रूपये शासकीय राशि का गबन करते हुये धोखाधडी कर शासन को क्षति पहुंचाये जाने का अभियोग है।

केस डायरी एवं रिमाण्ड प्रपत्र के अवलोकन से, प्रकरण के अन्य शेष अभियुक्तगण को माननीय छ०ग० उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा जमानत का लाभ दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त का भी जमानत पर रिहा किये गये अभियुक्तगण से भिन्न अपराध नहीं है। गबन की गयी राशि को पहले से ही जमा किया जा चुका है, जिससे

संबंधित चेक एवं बैंक डिटेल से संबंधित स्टेटमेंट केस डायरी में संलग्न है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक रिकार्ड होना केस डायरी में कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है। प्रकरण के निराकरण में भी विलंब होने की संभावना है।

उपरोक्त परिस्थितियों एवं अन्य सभी अभियुक्तगण का जमानत याचिका माननीय छ०ग० उच्च न्यायालय के द्वारा स्वीकार किये जाने और आवेदक/अभियुक्त का उनसे भिन्न अपराध नहीं होने की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि, यदि आवेदक/अभियुक्त की ओर से विचारण न्यायालय की संतुष्टि योग्य 25,000/- रूपये (पच्चीस हजार) का दो सक्षम जमानतदार एवं उतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र प्रस्तुत करें तो आवेदक/अभियुक्त जोयेस तिग्गा को जमानत पर रिहा किया जावे।

शर्तें-01- आवेदक/अभियुक्त, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्तियों को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय के समक्ष घटना के तथ्य का खुलासा करने से रोका जा सके।

02- आवेदक/अभियुक्त किसी भी तरीके से ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो निष्पक्ष एवं शीघ्र सुनवाई के लिये प्रतिकुल हो।

03- आवेदक/अभियुक्त प्रत्येक सुनवाई तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

04- आवेदक/अभियुक्त, भविष्य में सामान प्रकृति के किसी भी अपराध में स्वयं को संलिप्त नहीं करेगा और कोई अन्य अपराध कारित नहीं करेगा।

05- आवेदक/अभियुक्त, आधार कार्ड के साथ स्वयं का एक रंगीन फोटो, जिस पर आधार नम्बर अंकित हो, प्रस्तुत करेगा, उसे विचारण न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जायेगा।

आदेश की प्रति न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुंगेली का रिमाण्ड प्रपत्र सहित, तथा संबंधित थाना को केस

डायरी सहित एवं एक प्रति जेल अधीक्षक, जिला जेल मुंगेली को सूचनार्थ हेतु प्रेषित किया जावे।

प्रकरण की कार्यवाही समाप्त।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर नियत अवधि में अभिलेखागार में जमा किया जावे।

सही/-
for नीरज शर्मा
प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
मुंगेली छ०ग०

प्रतिलिपि-

01- न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुंगेली का रिमाण्ड प्रपत्र आदेश की प्रतिलिपि सहित सूचनार्थ प्रेषित।

02- थाना प्रभारी, आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली मुंगेली की ओर संबंधित केस डायरी आदेश की प्रतिलिपि सहित सूचनार्थ प्रेषित।

03- जेल अधीक्षक, जिला जेल मुंगेली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सही/-
for नीरज शर्मा
प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
मुंगेली छ०ग०